

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई 👯िली, 差 फरवरी, 2007

का.आ. 103(अ).— केन्द्रीय सरकार, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) की घारा 17, धारा 18 और धारा 13 की उपधारा (4), उपधारा (110)और उपधारा (112)के साथ पठित घारा 38 की उपधारा (11) और उपधारा (2) के खंड (ख), खंड (खक), खंड (खख) और खंड (खग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते gg, प्रतिभूति हित (प्रवर्भवैप्न)नियम, 2002 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

- 1 (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम प्रतिभूति हित (प्रव्य्वेष) संशोधन नियम, 2007 है |
 - 왿 🛛 ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।
- 2. (1) प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) स्विष्क्र, 2002 में, (जिसको इसमें इसके पश्चात् "उक्त स्थिप्त्री" कहा गया है) "अध्यादेश" शब्द, अर्ध्वा-अर्थ वे अतिर्वह, 'र्र्आर्थ-अर्थ' शब्द रखा जाएगा ।
 - (2) उक्त नियम के नियम 2 में, खंड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :---

"आधिर्मियम' से वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति

हित का प्रवर्तन अधिनियम200802(2008)2 37 54) अभिप्रेत है";

3. उक्त नियम के नियम 3 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :---

"3क. उधार लेने वाले के अभ्यावेदन का उत्तर देना

<mark>2</mark> 2

- (क) धारा 183 की उपधारा (२२) के अधीन मांग नोटिस के जारी करने के पश्चात, यदि उधार लेने बढाला, नोटिस का कोई अभ्यावेदन देता है या कोई आक्षेप करता है तो प्राधिकृत अधिकारी ऐसे अभ्यावेदन या आक्षेप पर विचार करेगा और यह परीक्षा करेगा कि क्या वह प्रतिग्राह्य या मान्य है ।
- (ख) यदि, उधार लेने वाले द्वारा दिए नए अभ्यावेदन या किए नए आक्षेप की परीक्षा करने पर प्रतिभूत लेनदार का समाधान हो जाता है कि मत्म नोटिस में किन्हीं परिवर्तनों या उपांतरणों को करने की आवश्यकता है तो तो जन्मानेदन या आक्षेप की प्राप्ति की तारीख से सात दिन के भोत्तर तदनुसार नाटिस की उपातरित करेगा और पुनरीक्षित नोटिस तामील करेगा या ऐसे अन्य उपयुक्त आदेश पारित करेगा जैसे वह आवश्यक समझे ।
- (म) यदि, कोई प्राधिकृत अधिकारी, दिए गए अभ्यातेदन या किए गए आक्षेप की परीक्षा पर, इस निष्कर्ष पर पहुंचता है 🍪 ऐसा अभ्यावेदन या आक्षेप प्रतिग्राह्य या मान्य नहीं है तो 🙉, अभ्यावेदन या आक्षेप के अप्रतिग्रहण र्ढिंकारणों को, ऐसे अभ्यावेदन या आक्षेप की प्राप्ति के एक सप्ताह के भीतर उधार लेने वाले को, संसूचित ब्येसाणि ।।
- 4. उक्त नियम के नियम 111 के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"12. अधिकरण/अपील अधिकरण को आवेदन-

1)1) घारा 117की उपघारा (1(1)के अधीन ऋण वसूली अधिकरण को कोई आवेदन, उक्त नियम की सरिशिष्ट VII में दि<mark>एंप</mark> गए प्ररूप के यथासंभव निकटतम रुप में होगा ।

भारत का राजपत्र ; असाधारण

अधिनियम की धारा 17 की उपघारा (6) के अधीन अपील अधिकरण को कोई आवेदन, उक्त नियम की परिशिष्ट ¹¹11 में दिए गए प्ररूप के यथासंभव निकटतम रुप में होगा ।

143. अधिनियम की घारा 177 और घारा 188 के अधीन आवेदनों और अपीलों के लिए फीसें-

(1) धारा 17 की उपघारा (1) के अधीन प्रत्येक आवेदन या धारा 18 की उपघारा (1) के अधीन 3447 अधिकरण को किसी अपील के साथ उपनियम (2) में उपबंधित फीस संलग्न भी जाएगी और ऐसी फीस, यथास्थिति, अधिकरण या न्यायालय के रजिस्ट्रार के पक्ष में उस स्थान पर, जहां अधिकरण या न्यायालय स्थित है, संदेय किसी बैंक का क्रास मांग ड्राफ्ट या भारतीय आर्डर के माध्यम से प्रेषित की जा सकेगी ।

(2) संदेय फीस की रकम निम्नलिखित होगी :

आवेदन की प्रकृति	संदेय फीस
धारा 13 की उपधारा (4) में निर्दिष्ट किन्हीं उपायों	
के विरुद्ध घारा 17 की उपघारा (1) के अधीन	
किसी ऋण वसूली अधिकरण को आवेदन	
जहां आवेदक, उधार लेने वाला व्यक्ति है और	प्रत्येक 1 लाख रुपए या उसके भाग
शोध्य ऋण की रकम दस लाख रुपए से कम है।	के लिए 5990 रुपए
जहां आवेदक, उधार लेने वाला व्यक्ति है और	59990 रुपए 4 1999900 रुपए की
शोध्य ऋण की रकम दस लाख रुपए और अधिक	अधिकतम सीमा के अधीन रहते हुए,
है।	दस लाख रुपए से अधिक, प्रत्येक
	एक लाख रुपए या उसके भाग के
	लिए 290 रुपए
	घारा 13 की उपघारा (4) में निर्दिष्ट किन्हीं उपायों के विरुद्ध घारा 17 की उपघारा (1) के अधीन किसी ऋण वसूली अधिकरण को आवेदन जहां आवेदक, उघार लेने वाला व्यक्ति है और शोध्य ऋण की रकम दस लाख रुपए से.कम है। जहां आवेदक, उघार लेने वाला व्यक्ति है और शोध्य ऋण की रकम दस लाख रुपए और अधिक

		······································
(ग)	जहां आवेदक, उधार लेने वाले से भिन्न कोई	प्रत्येक एक लाख रुपए या उसके
	व्यथित पक्ष है और जहां शोध्य ऋण की रकम दस	भाग के लिए 125 रूपए
	लाख रुपए से कम है।	
(u)	जहां आवेदक, उधार लेने वाले से भिन्न कोई	12590 रुपए 🐮 599900 रुपए की
	व्यथित पक्ष है और जहां शोध्य ऋण की रकम दस	अधिकतम सीमा के अधीन रहते हुए,
	लाख रुपए और अधिक है ।	दस लाख रुपए से अधिक, प्रत्येक
		एक लाख रुपए या उसके भाग के
		लिए 1225 रुपए
<mark>(</mark> 9)	किसी व्यक्ति द्वारा कोई अन्य आवेदन	2000 रुपए
2.	धारा 177 के अधीन ऋण वसूली अधिकरण द्वारा	वही फीसें, जैसी इस नियम के क्रम
	पारित किसी आदेश के विरुद्ध अपील प्राधिकारी को	
	अपील	उपबंधित की गई हैं
اا		

5. उक्त नियम में,--

(i)	परिशिष्ट- 🞹 में, "👫 विक्रय कीमत की 🎢 🖓 से पहले ''
रुपए	(रुपए मात्र) की" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;
(ii)	gRREE-V में, 'quf विक्रय कीमत की प्राप्ति'' से पहले ''
रुपए	(रुपए मात्र) की" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;
(iii)	परिशिष्ट 🚧 के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात :

5

^{"0}िरिस्टिन्ट- VIII [नियम 12(1) देखें]

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम,

2002 की घारा 17 की उपधारा (1) के अधीन आवेदन

अधिकरण कार्यालय के प्रयोग के लिए

फाइल करने की तारीख

डाक द्वारा प्राप्ति की तारीख

ZIT

रजिस्ट्रीकरण सं0

ऋण वसूली अधिकरण में (स्थान का नाम)

क ख और ग घ जो लागू न हो उसे हटा दें ।

आवेदन के 🕮रे :

- 1: आवेदक की धिश्विस्टीयां :---
 - (i) आवेदक का नाम :
 - (11) रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता :

रजिस्ट्रार के हस्ताक्षर

आवेदक

•••

प्रतिवादी

()) सभी नोटिसों की तामील के 👰 पता :

2. प्रतिवादी की विशिष्टियां :--

(i) प्रतिवादी का नाम :

(1) प्रतिवादी के कार्यालय का पता 🗉

(🎒) सभी नोटिसों की तामील के लिए पता :

🤊 अधिकरण की अधिकारिता :---

आवेदक घोषणा करता है कि आवेदन की विषय-वस्तु अधिकरण की अधिकारिता के भीतर आती है ।

🔹 परिसीमा :--

आवेदक यह और घोषणा करता है 🥦 यह आवेदन वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति 🛤 का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 17 की उपधारा (1) में विहित परिसीमा के भीतर फाइल किया गया है ।

5 मामले के तथ्य :--

6.

मामले के तथ्य नीचे दिए गए हैं :---

(यरध्र कालानुक्रम में तथ्यों का संक्षिप्त विवरण के प्रत्येक पैरा में, जहां तक संभव हो सके पृथक विवाद्यक, तथ्य या अन्यथा यहां दें, कि कैसे आवेदक व्यथित है ।)

मांगा गया (मांगे गए) अनुतोष :--

उपर पैरा 5 में उल्लिखित तथ्यों को ध्यान में रखते हुए आवेदक निम्नलिखित अनुतोष (अनु@A) के विंग् प्रार्थना 7. ·

8.

9

करता है :- 🗉

[अनुतोष (अनुतोषों) के लिए आधार को और निर्भर किए जाने वाले विधिक उपबंघों को (यदि कोई हो), स्पष्ट करते हुए मांगा गया अनुतोष मिंगि गए अनुतोषों) को नीचे विनिर्दिष्ट करें]

अंतरिम आदेश, यद्रि प्रार्थना की गई है :--आवेदन के अंतिम विनिश्चय के लंबित रहते हुए, आवेदक, निम्नलिखित अंतरिम आदेश जारी करवाना चाहता है :-(ब्रांबसिप आदेश की जिसके लिए प्रार्थना की गई हैं, प्रकृति और उसके कारण बताएं) ।

किसी अन्य न्यायालय में मामले का लंबित न होना आदि :-आवेदक यह और घोषणा करता है कि वह मामला जिसके संबंध में आवेदन किया गया है, किसी भी विधिक न्यायालय या किसी अन्य प्राधिकरण या अधिकरण की किसी अन्य न्यायपीठ के समक्ष लंबित नहीं है ।

इन नियमों के नियम 13़ैक निबंधनों में आवेदन फीस की बाबत बैंक ड्राफ्ट/पोस्टल आर्ख्शकी विशिष्टियां :---

(1) उस बैंक का नाम जहां आहरण किया जाना है :

😢 डिमांड ड्राफ्ट सं0 :

या

(1) भारतीय पोस्टल आर्डर (अपिरों) की सं0 :

(2) जारी करने वाले डाकघर का नाम :

(3) पोस्टल 31 (31) (31) को जारी करने की तारीख :

(4) डाकंघर जहां वह संदेय है :

🎋 अनुक्रमणिका के 👯 :--

उन दस्तोवजों के, जिन पर वह निर्भर 🤨 💷 वाली अनुक्रमणिका दो प्रतियों में संलग्न है।

🏙 संलग्नकों की सूची :---

सत्यापन

मैं.....पुत्र/पुत्री/पत्नी (पूरा नाम स्पष्ट अक्षरों में)

श्री.....आवेदक/आवेदक की ओर से, सत्यनिष्ठा से सत्यापित करता हूं कि पैरा 1 से 11 औं अंतर्वस्तु मेरे सर्वोत्तम झान और विश्वास के अनुसार सत्य हैं <mark>औंष</mark> मैंने किसी तथ्य को छिपाया नहीं हैं।

आवेदक के हस्ताक्षर

तारीख :

स्थान :

सेवा में

रजिस्ट्रार,

"अस्तिस्तिन्द- VIIII [नियम 12(2) देखें]

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिभवयम,

रजिस्ट्रार के हस्ताक्षर

आवेदक

प्रतिवादी

2002 की धारा 17 की उपधारा (6) के अधीन आवेदन

अपील अधिकरण कार्यालय के प्रयोग के लिए

फाइल करने की तारीख

डाक द्वारा प्राप्ति की तारीख

या

रजिस्ट्रीकरण सं0

ऋण वसूली अपील अधिकरण में

ख

(स्थान का नाम)

क और

ग घ

जो लागू न हो उसे हटा दें । आवेदन के ब्यौरे :

🐀 🐘 आवेदक की विशिष्टियां :—

(j) आवेदक का नाम :

(ii) रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता :

32965107-2

🌐 सभी नोटिसों की तामील के लिए 👑

2. प्रतिवादी की विशिष्टियां :--

🚺 प्रतिवादी का नाम :

(1) प्रतिवादी के कार्यालय का पता :

🌐 सभी नोटिसों की तामील के लिए पता ;

🖲 अधिकरण की अधिकारिता :---

आवेदक घोषणा करता है कि आवेदन की विषय-वस्तु अधिकरण की अधिकारिता के भीतर आती है ।

🌯 मामले के तथ्य :---

मामले के तथ्य नीचे 冬 गए 🖞 :---

मांगा गया (मांगे 🋺 अनुतोष 🛺

5.

जगर पैरा 5 में उल्लिखित तथ्यों को ध्यान में रखते हुए ?रीषेड्? निम्नलिखित अनुतोष (अनुतोषों) के लिए प्रार्थना करता है

ऋण वसूली अधिकरण (VaM), को उपर आदेदन

11

से 7

स्थान		आवेदक के हस्साक्षर
की अं	तर्वस्तु मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य हैं और मैंने किसी	तथ्य को छिपाया नहीं है।
श्री	आवेदक, सत्यनिष्ठा से सत्यापित	ा करता हूं कि पैरा 1 से
	(पूरा नाम स्पष्ट अक्षरों में)	
•	मैंपुत्र/पुत्री/	पत्नी
	सत्यापन	
8.	संलग्नकों की सूची :	
	दो प्रतियों में सलग्न है ।	,
•	उन दस्तोवजों के, जिन पर वह निर्भर हैं, ब्यौरे वाली अनुक्रमणिका	
7	अनुक्रमणिका के ब्यौरे :-	
	9 ही ।	
	प्राधिकरण या अधिकरण की किसी अन्य न्यायपीठ के समक्ष लंबित	
	आवेदन किया गया है, किसी भी विधिक न्यायालय या किसी अन्य	•
	आवेदक यह और घोषणा करता है कि वह मामला जिसके संबंध में	
₿.	किसी अन्य न्यायालय में मामले का लंबित न होना आदि :-	
	यथोचित आदेश पारित करने की कृपा करें ।	
	निदेश देने की और/या न्याय तथा साम्या के हित में कोई अन्य	ан ^{са} ла Хан сан сан сан сан сан сан сан сан сан с
-	संख्यांकको, यथासंभव शीघ्र का भिष्टनि करने का	

सेवा में

रजिस्ट्रार,

..... •••••••••

[PART II-SEC. 3(ii)]

"परिशिष्ट- ₩ [नियम 1<mark>2(2)</mark> देखें]

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 20082 की घारा 18 के अधीन अपील अधिकरण कार्यालय के प्रयोग के लिए फाइल करने की तारीख डाक द्वारा प्राप्ति की तारीख रजिस्ट्रीकरण संo

रजिस्ट्रार के हस्ताक्षर

ऋण वसूली अधिकरण में

(स्थान का नाम)

.....अपीलार्थी/निर्णीत लेनदार औरप्रत्यर्थी/लेनदार

अपील के ब्यौरे :

! अपीलार्थी की विशिष्टियां :--

(i) अपीलार्थी (अपीलार्थियों) का नाम :

(11) अपीलार्थी रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता :

(🎒) सभी नोटिसों की तामील के लिए पता :

1. प्रत्यर्थी (स्पिविध)) की विशिष्टियां :--

(i) प्रत्यर्थी का (के) नाम :

()) प्रत्यर्थी के कार्यालय का पता :

(iii) सभी नोटिसों की तामील के लिए पता 🛉

🎹 अपील अधिकरण की अधिकारिता :---

अपीलार्थी घोषणा करता है कि अपील की विषय-वस्तु अपील अधिकरण की अधिकारिता के भीतर आती है ।

[🛛 परिसीमा :---

अपीलार्थी यह और घोषणा करता है कि यह अपील वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की घारा 18 की उपधारा (1) में विहित परिसीमा के भीतर है।

V 👘 मामले के तथ्य :--

(यहां, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 20082 की धारा 18 की उपघारा (3)/उपघारा (4)⁴ के अधीन पारित ऋण वसूली अधिकरण के विनिर्दिष्ट आदेश के विरुद्ध अपील के तथ्यों और आधारों का संक्षिप्त विवरण दें) ।

VI.

मांगा गया (१० रिष्ठ)अनुतोष :--

ऊपर पैरा V में उल्लिखित तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अपीलार्थी निम्नलिखित अनुतोष (अनुतोषों) के िए प्रार्थना करता है :-

[अनुतोष (अनुतोषों) के लिए आधारों को और निर्भर किए जाने वाले विधिक उपबंधों को (यद्मिकोई बो), स्पष्ट करते

हुए मांगा गया अनुतोष (मांगे गए अनुतोषो) को नावे विनिर्दिष्ट करें]

VIII. अंतरिम आदेश, यदि प्रार्थना की गई है :--अपील के अंतिम विनिश्चय के लंबित रहते हुए, अपीलाओं, निम्नलिखित अंतरिम आदेश जारी करवाना चाहता है :-(अंतरिम आदेश की जिसके लिए प्रार्थना 9 गई है, प्रकृति और उसके कारण बताएं) ।

किसी अन्य न्यायालय में मामले का लूंबित न होना आदि :-VIIII. अपीलार्थी यह और घोषणा करता है कि वह मामला जिसके संबंध में अपील की गई है, किसी भी विधिक न्यायालय या किसी अन्य प्राधिकरण या अधिकरण के समक्ष लंबित नहीं है ।

अधिनियम की धारा 18 की उपघारा (1) के निबंधनों भ निक्षिप्त देय ऋण की बाबत कि जुफट/पोस्टल आई वरी विशिष्टियां :--

(1) उस बैंक का नाम जहां आहरण किया जाना है

(2) डिमांड ड्राफ्ट सं0

या

(1) भारतीय पोस्टल आर्डर (अर्ल्य) की संत

(2) जारी करने वाले डाकघर का नाम

- (3) पोस्टल आर्डर (3114 किने जारी करने की तारीख
- (4) डाकघर जहां वह संदेय है

- IX.

भारत का राजपत्र : असाधारण

💥 इन नियमों के नियम 🎋 के निबंधनों में संदत्त फीस की बाबत

बैंक ड्राफ्ट, पोस्टल आर्डर की विशिष्टियां :--

(1) उस बैंक का नाम जहां आहरण किया जाना है

(2) डिमांड ड्राफ्ट सं0

या

(1) भारतीय पोस्टल आर्डर (अधिर) की सं0

(2) जारी करने वाले डाकघर का नाम

(3) पोस्टल आर्डर (अधिर्ण्यको जारी करने की तारीख

(4) डाकघर जहां वह संदेय है

🂥 अनुक्रमणिका के ब्यौरे :-

उन दस्तोवजों के, जिन पर वह निर्भर हैं, ब्यौरे वाली अनुक्रमणिका दो प्रतियों में संलग्न है।

💥 . संलग्नकों की सूची :---

सत्यापन

अपीलार्थी के हस्ताक्षर

तारीख :

स्थान :

सेवा में

रजिस्ट्रार,

ऋण वस्ली अधिकरण

जो लागू न हो उसे हटा दें।

[फा. **क्**i. 1/10/2005-**ü**-I]

अमिताभ वर्मा, संयुक्त सचिव

टिप्पण :--मूल ग्विभू, भारत के राजपत्र में सं. का.आ. 1029(39, तारीख 20-9-2002 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OFF FINANCEICE (Department of Economic Affairs)s)

NOTIFICATION TION

New Delhi, the 2nd February, 2007

S.O. 103(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (b), (ba), (bb) and (bc) of sub-sectior(2) of section38 read with sections17,18 and sub sections: (4), (10) and (12) of section 13 of the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (54 of 2002), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002, namely:-

- 1. (1) These rules may be called the Security Interest (Enforcement) Amendmentent Rules, 2007
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official ial Gazette te
- 2. (1) In the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 (herein after referred to as "the said rules") for the word "Ordinance"e", wherever they occur, the word "Act" shall be substituted.
 - (2) In the said rules, in rule 2, for clause (c), the following clause shall be substituted d, namely:--

"'Are't' means the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (54 of 2002)";

3. In the said rules, after rule 3, the following, rule shall be inserted, namely:-

"3A. Reply to Representation of the borrowerer

(a)

(b)

(6)

After, issue of demand notice under sub-section (2) of section 13, if the borrower, makes any representation, or raises any objection to the noace die AuthorizedOfficershallconsider such representationer objection and examine whether the same is acceptable or tenable.

If on examining the representation adeor objectior raised by the borrower, the secure creditor is satisfied that there is a need to make any changes or modifications in Hie demand notice, he shall modify the notice accordingly and serve a revise that correspondence of the secure of

If onexaminintherepresentatimad or dbjecticraised, the Authorized Officer comes to file conclusion ulat such representation objections not acceptablor tenablehe shall communicate within one week of receipt of such representation objection there as or for non-accepta of ce the representation objection to the borrower".

In the saidrules, after rule 11, the following shall be inserted, namely:-"12. Application the Tribunal/ Appellat Tribunal-

1) Any application the Deble Recover Tribunaunder sub-sectic(1) of secaor 17 shallbe, as nearly as possible in the form given in Appendix VII to the rules.

2) Any application the Appellat Tribunaundersubsecaor(6) of secaor17 of the Act shall be, as nearly as possibl in the form giver in Appendi VIII to the said rules. Any appeato the Appellat Tribunaundersection 18 of the Act shall be, as nearly as possible in the form given in Appendix IX to file said rules.

"13. Feefor application and appeal undersection 17 and 18 of the Aster-

(1) Every applicatioun dersubsection (1) of section 17 or an appear o the Appellat Tribuna undersub-sectio (1) of sector 18 shall be accompanie by a fee provide on the sub-rul (2) and such sector p

329GI/07-3

· · ·

17

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRACROMARY NARY

	(2) The amount of fee pay	ablele shall 11 be as follows.vs:
NºO.	Naturare of Application	Amount of Fee payable
1	Application to a Debt Recovery Tribunal under sub-section (1) of section 17 against any of the measures referred to in sub- section (4) of section 13	
(a)	Where the applicant: IS a borrowerver and the amount of debt duge is less than Rs.100 lettens	Rs.500for every Rs.I lakh or part thereof
(b)	Where the applicant is a borrowerver and the amount of the trace is Res190 lakens and above	
(6)	Where the applicant IS an aggrieved party other than the bostowever and where the amount of debt due is less than Rs.120 lettens	Rs.1125for every RupeesOne lakh or part
(d)	Where the applicant is an aggrieved party other than the borrower and where the amount of cabb due is Rs.190 lakens and above	Rs.1250 + Rs.125 for every Rs.1 lakh or part; thereof in excess of Rs.10 lakhs subject to a maximum of Rs.50,000/
(e)	Any other application by any person	Rs.200 //-
2	Appeal to the Appellate Authority against any order passed by the Debt Recovery Tribubal and under section 17	Same fees as provided 1 at clauses (a) to (e) of seial number 1 of this rule

5. In the said rules, =

- (i) in Appendix 111, for the words, "receipt: of the sale price";, the words, and letters "of Rs. (Rupees only" shall be inserted d;
- (ii) in Appendix V, after the words "receipt of the sale price"; the words and letters "of Rs. (Rupees only" shall be inserted.)
- (IIi) after Appendix VI, the following shall be inserted, namely:-

19

"APPENDIX-VIK-VII

[Seerule 12(1)]

Applicaäoundesub-secä (1) of Secüo17 of die Securitisatikand Recoastruction of Financial Asseb and Enforcement of Security Interest Act, 2002

For use in Tribunal's 1's Office

Date of filing

Date of receipt by post

Orr

Regis&abn No.

In the Debts Recovery Tribunal (Nameof the place) Between

в A

and

'Delete whichever is not applicable.

D)

Details of application :

Particulars of ete applicant :--1.

Name of the applicant:

(H)

Addressof Registere Offce : Addressfor serue of all nodces (iii)

Bardculars of the defendant :--2.

Name Of the defaidant :

Offce addres of the defendant

Addrestor servEcof all nouces (iii)

32961107-4

(i) (ii)

Signature Regisbar

Applicant(s)

Defendant(s)s)

[PART II-SEC. 3(ii)]

 Jurisdiction of the Tribunal al -- The applicant declares that the subject matter of this application falls within the jurisdiction of the Tribuahal.

4. Limitationtion :=

The applicant further declares that this application is filed within the limitation prescribed in sub-section (1) of Section 17 of use Securivation and Reconstruction of the Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 :

5. Facets of the case :--

The facts of the cascare given below :---(Give here a concise statement of facts in a chronological 1 order;, each paragraph containing as nearly as possible a separate issue, fact or otherwise as to how the applicant is aggrieved).

6.

20

Relief (s) sought :---

In view of the facts mendonedd in paragraph 5 above, the applicant prays for the following relief(*) :=

[Specify below the relief(s) sought explaining ule grotmd for relief(s) and the legal provisions (if any) relied upon]

7. Interim order, if prayed for ---Pending final decision on the application, the applicant seeks issue of the following Interim Cyterer--

(Give here the nature of the interim order prayed for with reasons).

8. Matter not pending, with any other court, etc. :

The applicant: further, declares that the matter regarding, which this application has been made is not pending before any court of law or any other authority, or any other Bench of the Trimanal.

- Particulars of Bank Draft/ Postal Order in respectof are application fee in terms of rules 13 of utage rules:-
 - (1) Name of the Bank on which drawn :
 - (2) Demand Draft No ::
 - Or

10.

 Number of Indian Posta Order(\$):
 Name of the issuing PostOffice :
 Date of Issue of Postal Order (\$) :
 PostOffice at which payable : Patalists of Index :=

An index in duplicate containing use debits of the documents to be relied upon is enclosed.

11.1 List off enclosureses :--

Verificationtion

of Shiri :....., üle applicant /for and on behalf of the applicant hereby solemnly verify etat emcontents of paras 1 to 11 are Yue to my personal knowledge and belief and datt I have not suppressed any matrialial facts.

Place :

թ

The Registrar.

Signature of the ap#ant.nt

APPENDIX-VIII

[See rule: 12(2)]

Application under sub-sectior(6) of Section17 of the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002

For use in Appellate Tribunal's Office

Date of filing

Date of receipt by post

Ør

Registration No.

Signature Registrar

In the Debts Recovery Appellatee Tribunali (Name of the place) Betweeten

A B Applicent(s)(s)

C D Defendant(s)s)

Delete whichever is not applicable.

Details of application :

1. Parüculars of the applicant: ---

- (i) Name of the applicant: :
- (ii) Address of Registered Office :
- (iii) Address for service of all notices :

2. Particulars ars off the defendantant :--

- (i) Name of the defendant :
- (ii) Office addresss of the defendant i
- (iii)) Addresses for service of all notices :

3.

4.

Jurisdiction of Hie Appellate Triburn !--The applicant declares the suyect matter of a is application falls widiin the jurisdiction of the Appellate Tribunal.

Facts of the case :-

The facts of the case are given below :--The applicant submits that die applicant/defendanthad filed an application under sub-sectio (1) of Section 17 of the of the Securitisation, and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest: Act, 2002, before the Hon'ble Debt Recovery Tribunal (Place) on (date), which was registered as, and is still pending. The aforesaicapplicatiorought to have beat disposed off on or before

5. Relief (S) sought :-

- 23

[PART 58 EC. 3(ii)]

Ø .	Matteer not pending with any other court, etc.:-
	The applicant further declares that the matter
	regarding, which this application has been
	made is not pending before any court of law or
	any other authority or any other Bench of the
	Tribunalnal.
7.	Petailsils off Indexex :=
	An index in duplicate containing, the details of
	the documents to be relied upon is enclosed.
	A

8. List of enclosures :-

Verificationtion

hereby solemnly verify, that the contents of paras 1 to 7 are true to my personal knowledge and belief and that I have not suppressed any material facts.

Place :

Signature of the applicant

Date: Too

The Registrar.

APPENDIX-IX IX-IX

[See Rule 12(2)]

Appeal 1 under Section 18 of the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002

For use of Tribual'sal's offere Date of filing Date of receipt by post Registration No.

Signature Registrar

[भाग]]—खण्ड 3(ii)]

भारत का राजपत्र : असाधारण

	IN THE DEBTS RECOVERY APPELLATE TREBUNNAL
	(Name of place) Betweenen
	Appellant(s)/Judgement-Creditor(s)
	and
. <u> </u>	Respondent(s)/Creditor(s)
	s of appeal:
¥.	Particulars of the Appellant(s)
	(i) Name of the Appellant: (ii) Address Of the Registeracoftee of untcappellant:
	(iii) Address for service of all notices:
₩I.	Particulars of the respondent(s)
11+	(i) Name(s) of respondent:
	(ii) Office address of the respondent:
	(iii) Address for service of all notices:
₩I.	Jurisdicaon of the Appellate Tribunal:
	Th appelladeclareutae subjemattcofülcappe fallswithin the
	jurisdiction of are Appellate Tribunal.
W 7.	Emiliation: The appelland eclare utat the appeals within the limitation prescribed
	in sub-section(1) of Section 18 of die Securitisation and Reconstruction of
•	Finandal Asseb and Enforcement of Security Interest Act, 2002.
V.	Facts of the case:
••	(giveherea concisistatemerof fact and grounds of appealagains the
	specificorder of DRT passerunder* sub-sectio(3)/sub-sectio(4) of
	Section 18 of the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and
	Enforcement of Security Interest Act, 2002.
V 1.	Relief(s) sought: In view of the facts mentioned in paragraph V above, the appellant prays
	for the following, relief(s)
	(Specifbelowüle relief(s sough explaining the ground of relief(s and
	fraclegal provisions (if any) relied upon).
VILI.	Interim order, if prayed foy-
	Pendingfinal decisioron the appealthe appellantseeksissueof the
	following g interim order:
	(Givehere the nature of the interim order prayed for with reasons)
VIII.	Matter not pending with any other court, etc.: The Appellar furthe declares at a matteregardin which this appeal
	has been made is not pending before any court of law or any other
	authority of any outro Tribunal(s).
IX.	Particularsof Bankdraft/PostalOrder in respectof the depositof debts
173.	due in terms of sub-section(1) of Section 18 of the Act:
	 (1) Name of ute bank on which drawn (2) Demand Draft number
	Or
	(1) Number of Postal Order(s)

25

- 2) Name of Issuing Post Office
- (3) Date of Issue of Postal Order(s)
- (4) PostOffice at which payable
- Particulars of bank draft, postal order in respectof the fee paid in terms of rule 13 of these rules:
 - (1) Name of the bank on which drawn.
 - (2) Demand Draft number

Or

- (1) Number of Postal Order(s)
- (2) Name of Issuing Post Office
- (3) Date of Issue of Postal Order(s)
- (4) PostOffice at which payable
- XI. Details of index-An index in duplicate containing the details of the documents to be relied upon is enclosed.
- XI. List of enclosures es:

Vegication

1 (namein full block letters) son/daughter/wife of _____ the appellando herebyverify & tatthe content: of paragraphs to IX are true to my personsknowledg and belief and that I have not suppresseany material fact(s).

Signature of the Appellantt

Place: Date:

Topate

10

Registrar

Debts Recovery Tribunal

Delete whichever is not applicable.

[F. No. 1/10/2005-BOOUT] AMITABHH VERMAA, Jt. secy.

Note: _____ThePrinciperule werepublishein the Gazettof IndiavideS @ numbe 1020(E),

Printed by the Mauger, Govt. of India Press Ring Road, Ebyapuri, New Deüli-110064 and Published by the Controller, of Publications, Delhi-110054.

X.